ख़साइस

इमाम महेदी मौऊद ख़लीफ़तुल्लाह (अ.स.)

लेखक

हज़रत बन्दगी मियाँ

अब्दुल मलिक सजावंदी

आलिम बिल्लाह रहे०

अनुवादक

शेख़ चाँद साजिद

इदारतुल इल्म महेदवियह इस्लामिक लाइबररी

अंजुमने महेदवियह बिलडिंग, चंचलगुडा,

हैदराबाद - ५०० ०२४.

2008

प्रस्तावना

तमाम प्रशंसा अल्लाह के लिये है जो सारे संसार का रब है और जिसने हमारी हिदायत के लिये अपने अंतिम रसूल हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला० और अपने ख़लीफ़ा हज़रत सैयत मुहम्मद महेदी मौऊद अले० को भेजा और हमें उन दोनों की तस्दीक़ की नेमत अता फ़र्माई।

यह पुस्तक ***''ख़साइसे इमाम महेदी मौऊद अले०*** बन्दगी मियाँ अब्दुल मलिक सजावंदी आलिम बिल्लाह रहे० की रचना है । इसमें ख़लीफ़तुल्लाह इमाम महेदी मौऊद अले० के बारह ख़साइस (प्रधानता) बयान किये गये हैं, उनमें एक विशेषता यह भी है कि इमाम महेदी मौऊद अले० हज़रत अबू बक्र रज़ी० और हज़रत उमर रज़ी० से भी अफ़ज़ल (प्रतिष्ठित) हैं और यह बात सहाबा रज़ी० के दौर से ही प्रचलित है, महदवियों का आविष्कार नहीं है।

जान्ना चाहिये कि इमाम महेदी मौऊद अले० का अल्लाह का ख़लीफ़ा होना, मामूर मिनल्लाह (अल्लाह की ओर से नियुक्त) होना, मासूम अनिल ख़ता (अचुक) होना, साहबे दाअवत होना, दाफ़े हलाकते उम्मत होना और ख़ातिमे दीने रसूलुल्लाह सल्ला० होना अहादीसे सहीहा मुतवातिरा से साबित है। यह औसाफ़ (गुण) हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ी में नहीं पाए जाते।

उलमाए ज़ाहिर ने हमेशा अहले बातिन औलिया अल्लाह का विरोध किया है। ऐसे ही बाज़ उलमा जो रसूलुल्लाह सल्ला० को एक साधारण मनुष्य कहते हैं और उनको अल्लाह तआला की ओर से इल्मे ग़ैब (पूर्वज्ञान) प्राप्त होने का इन्कार करते हैं, वे भला इमाम महेदी अले० की हक़ीक़त को क्या समझ सकते हैं, इस लिये नित-नए विवाद पैदा करते रहते हैं। असल पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई जिस को उर्दू अनुवाद के साथ दारुल इशाअत कुतुब सल्फ़ुस - सालिहीन ने प्रकाशित किया था और उसका यह हिन्दी अनुवाद जनाब शेख़ चाँद साजिद ने किया है जो इस इदारे की ओर से प्रकाशित किया जारहा है। इसकी छपाइ का ख़र्च जनाब सैयद ख़ुरशीद साहब पालन पूरी ने अपने पूर्वजों के ईसाले सवाब के लिये उठाया है, जिसके लिये हम उनके आबारी हैं।

अल्लाह तआला से दुआ है कि सत्यता की खोज करने वालों के लिये इस पुस्तक को मार्ग दर्शक बनाए और अनुवादक ओर छपाई में सहयोग देने वालों को इसका सवाब अता फ़र्माए । आमीन ।

फ़क़ीर सैयद हुसेन मीराँ
प्रबंधक, इदारतुल - इल्म
महेदवियह इस्लामिक लाइब्रेरी

रजब १४२९ हिज्री / जूलाइ २००८

ख़साइसे इमाम महेदी मौऊद ख़लीफ़तुल्लाह (अ.स.)

अगर आप कहें कि इमाम महेदी मौऊद (अ.स.) अफ़ज़ल (सर्वोच्च) हैं या अबूबकर और उमर (रज़ी०) अफ़ज़ल हैं तो हम कहेंगे कि महेदी (अ.स.) उन दोनो से अफ़ज़ल हैं, जैसा कि मुहम्मद इब्ने सीरीन से रिवायत है उन्हों ने कहा जब उन से पूछा गया कि महेदी बढ़कर हैं या अबूबकर और उमर रज़ी० तो कहा कि महेदी (अ.स.) उन दोनों से बढ़कर हैं। उन्हों ने यह भी कहा कि (सहाबा के दौर में) महेदी (अ.स.) को पिछले अम्बिया पर फ़ज़ल (प्रतिष्टा) दिया जाता था और महेदी (अ.स.) का नबी (अ.स.) के बराबर होना बयान किया जाता था। इस रिवायत को हाफ़िज़ अबू अब्धुल्लाह नुएम बिन हम्माद ने ''किताबुल फ़ितन'' में सनद से बयान किया है। औफ़ इब्ने मम्बा से रिवायत है उन्हों ने कहा कि हम आपस में यह कहा करते थे कि इस उम्मत में एक ऐसा ख़लीफ़ा होगा कि अबू बक्र और उमर (रज़ी०) भी उस से बढ़कर नहीं होंगे, इस रिवायत को इमाम अबू अम्र दानी ने अपनी सुनन में सनद से बयान किया है। अगर आप कहें कि किस दलील (तर्क) से महेदी (अ.स.) अबू बक्र और उमर (रज़ी०) से अफ़ज़ल होंगे जब कि उम्मत का इजमाअ (किसी बात पर सब का सम्मत होना) इस बात पर है कि अबू बक्र रज़ी० अम्बिया के बाद तमाम अहले आलम (दुनिया वालौ) से अफ़ज़ल (सर्वोच्च) हैं। उसकी दलील यह मश्हूर (प्रसिद्ध) हदीस है कि अल्लाह की क़सम सूर्य न तुलूअ हुवा और न ग़ुरूब हुवा है अम्बिया के बाद किसी ऐसे शख़्स पर जो अबू बक्र (रज़ी०) से अफ़ज़ल है, तो हम कहेंगे कि हाँ बेशक इस हदीस और उम्मत के इज्माअ के कारण अबू बक्र रज़ी० अफ़ज़ल हैं लेकिन उनका फ़ज़ल (प्रतिष्टता) उनके युग के अहले आलम पर है,

तमाम ज़मानों के अहले आलम पर नहीं, और यही अर्थ इस हदीस में शब्द ''मा तलअत'' से ज़ाहर है क्यों कि यह शब्द माज़ी (भूतकाल) है इस से मुस्तक़बिल का ज़माना (भविष्यत्काल) मुराद (उद्देश्य) नहीं हो सकता, और महेदी (अ.स.) के आने का ज़माना वस्ते उम्मत (उम्मत के मध्य) में है और उम्मत का मध्य काल अबू बकर रज़ी० के समय में नही था बल्कि महेदी (अ.स.) का ज़माना भविष्यत्काल है इस लिये महेदी (अ.स.) का उस हदीस से संबन्ध नही है और अबू बक्र रज़ी० का फ़ज़ल महेदी (अ.स.) पर लाज़िम नहीं आयेगा। इसकी पुष्टि कुर्आने मजीद में अल्लाह तआला के इस वचन से होती है कि *''बेशक अल्लाह ने आदम, नूह, आले इब्राहीम और आले इम्रान को तमाम आलमीन पर बरगुज़ीदा (चुना हुआ) किया है''* (आले हम्रानः३३) अर्थात केवल उनके ज़माने के तमाम दुन्या वालौ पर बरगुज़ीदा किया है, क़यामत के दिन तक तमाम ज़मानों के लोगौं पर नहीं। क्यों कि यदि आप *आलमीन* का अर्थ क़यामत तक होने वाले तमाम अहले आलम (दुन्या वालें) लेंगे तो यह साबित होगा कि आप ने आले इम्रान का फ़ज़ल (प्रतिष्ठा) हमारे नबी ह० मुहम्मद सल्ला० पर भी लाज़िम सम्झा और यह बात ना जाइज़ (अनुचित) है। इस से स्पष्ट हुवा कि *आलमीन* का अर्थ उनके ज़माने के अहले आलम हैं, तमाम ज़माने के लोग नहीं। इसकी पुष्टि अल्लाह तआला के इस क़ौल से भी होती है *''जब कहा फ़रिश्तों ने ऐ मर्यम बेशक अल्लाह ने तुम को बरगुज़ीदा किया है और पाक बनाया है और आलमीन (जगत) की औरतों पर तुम्हें बुज़रगी दी है''* (आले इम्रान - ४२) यदी *निसाउल - आलमीन* से मुराद बतरीक़े मजाज़ (अवास्तविक) मर्यम के ज़माने की तमाम औरतें हों तो वही इसका उद्देश्य है और यदि उस से हक़ीक़ते लफ़्ज़ के मुताबिक़ मर्यम के ज़माने से क़यामत तक होने वाले तमाम औरतें (महिलाऐं) मुराद हों तो यह बात जाईज़ नही क्योंकि ह० खातिमुन - नबी अलैहिस्सलाम की बाज़ बीबियाँ

फ़ज़्ल में बढ़ी हुवी हैं जैसा कि खदीजा (रज़ी०) बिन्ते ख़वीलद, आइशा बिन्ते अबूब्रक सिद्दीक़ (रज़ी०) और फ़ातिमा (रज़ी०) बिन्ते मुहम्मद (सल्ल०) यह सब कि सब मर्यम पर फ़ज़्ल रखने वाली है, उनके फ़ज़्ल (प्रतिष्ठा) में कोई शक नहीं। इस से मालूम हुवा कि तमाम आलमीन से मुराद मर्यम के ज़माने के अहले आलम हैं, तमाम ज़मानो की महिलाऐं नहीं, यहाँ इसी प्रकार है। इस लिये विचार करें फिर जानलें कि जो हदीसें नबी (अले०) से महेदी (अले०) के हक़ में वारिद हुवी है उन मे बहुत से ख़साइस हैं जिन में से एक खुसूसियत (विशेषता) भी अबूबक्र और उमर (रज़ी०) और दुसरे सहाबा (रज़ी०) में नहीं पाइ जाती और इस से स्पष्ट होता है कि महेदी (अला०) अबूबक्र (रज़ी०) से अफ़ज़ल (वरिष्ठ) है।

पहली खुसूसियत :- यह है कि महदी अले० इमामे ख़ास हैं जो बिला वासिता (बिना माध्यम) अल्लाह के हुक्म और हुज्जते क़ातेआ (निर्णयात्मक सबूत) से जिसको मुआयना और मुशाहदा से देखते हैं मख़लूक़ को अल्लाह की तरफ़ बुलाते हैं। महेदी अले० के सिवाय तमाम औलिया अल्लाह जो नबी अले० के बाद क़यामत तक होंगे वे सब इस्तिदलाल और अख़बार से (तर्क और समाचार की सहायता से) मख़लूक़ को अल्लाह की तरफ़ बुलाऐंगे, जब कि ख़बर मुआयने के मसावी (समान) नहीं इस लिये मुआयना और मुशाहदा से हुज्जते क़ातेआ के साथ ख़ल्क़ को दावत देने का फ़ज़्ल औलिया में महेदी के सिवाय किसी और को हासिल नहीं अगरचे कि अबू बक्र रज़ी० हों पस मालूम हुवा कि महेदी अले० अफ़ज़ल हैं।

दुसरी खुसूसियत - यह है कि महदी अले० ख़ल्क़ (लोगौ) को अल्लाह की तरफ़ बुलाने पर अल्लाह की जानिब से मामूर (आदिष्ट) हैं जैसा कि रसूलुल्लाह सल्ला० इस दावत पर मामूर थे जैसा कि अल्लाह तआला फ़र्माता है - *''कहदो ए मुहम्मद (सल्ला०) कि यह मेरी राह*

(मार्ग) है बुलाता हूँ मख़लूक़ को अल्लाह की तरफ़ बसीरत (परीज्ञान) पर मैं और वह जो मेरा ताबे है'' (यूसुफ़ - १०८)। इस तरह फ़र्माने ख़ुदा से आँहज़रत सल्ला० की इत्तिबाअ (अनुकरण) में तमाम उम्मत से महेदी (अले०) ही अफ़ज़ल (सर्वश्रेष्ठ) हैं क्योंकि नबी अले० ने महेदी अले० के विषय मे फ़र्माया है कि *''वह (महेदी) मेरे क़दम बक़दम चलेगा और ख़ता नही करेगा''* यानि कामिल तौर पर (संपूर्ण रुप से) मेरी इत्तिबाअ करेगा। जान लो कि रसूलुल्लाह सल्ला० का यह क़ौल (वचन) कि महेदी (अले०) ख़ता नहीं करेगा इस के लिये ज़रुरी है कि महेदी अले० अपने हर क़ौल और फ़ेल में अल्लाह और रसूल सल्लम से तहक़ीक़ पर हो पस महेदी अले० वही हुक्म करेंगे जो अल्लाह की जानिब से फ़रिश्ता लायेगा वह फ़रिश्ता जिस को अल्लाह महेदी अले० के पास भेजेगा ताकि महेदी अले० को राहे रास्त पर रखे और वही (महेदी अले० का हुक्म) हक़ीक़ी शराअ मुहम्मदी है यहाँ तक कि अगर आँहज़रत सल्लम जीवित होते और महेदी अले० के दिये हुवे अहकाम आँहज़रत के सामने पेश किये जाते तो आँहज़रत सल्लम वही हुक्म फ़र्माते जो इमाम महेदी मौऊद अले० ने फ़र्माया। मालूम हुवा कि महेदी अले० का हुक्म शराअ मुहम्मदी ही है पस क़ियास (अनुमान) और इज्तेहाद का इल्म महेदी अले० पर हराम होगा उन क़तई अहकाम के मौजूद होने से जो महेदी अले० को अल्लाह की तरफ़ से हुज्जत (सबूत) के तौर पर अता हुवे और इसी लिये आँहज़रत सल्ल० ने महेदी अले० की तारीफ़ में फ़र्माया कि वह मेरे क़दम बक़दम चलेगा और ख़ता नहीं करेगा। पस हम ने जान लिया कि महेदी अले० मुत्तबे (अनु यायी) हैं, नई शरीअत वाले नहीं हैं और महेदी अले० मासूम अनिल ख़ता (अचूक) हैं इसलिये कि रसूल सल्ल० के हुक्म को ख़ता से मन्सूब नहीं कर सकते, क्यों कि अल्लाह तआला फ़र्माता है *''वमा यन्तिकु अनिल हवा, इन हुवा इल्ला वहयुन युहा''* (अन नज्म - ३) (रसूल सल्ला० ख़ाहिशे नफ़्स से नहीं

कहते वह तो वही है जो उनकी जानिब भेजी जाती है।) दूसरे औलिया का मासूम अनिल ख़ता होना साबित नहीं, क्योंकि ख़ता से इस्मत (अचूकता) नबी अले० के फ़र्मान से नबी अले० के बाद इसी इमाम महेदी अले० के साथ मुख़तस (विशिष्ट) है और एक शख़्स के साथ किसी चीज़ की तख़सीस (विशिष्टता) का अर्थ यही है कि वह चीज़ उस के सिवाय दूसरे में न पाई जाये। जान्ना चाहिये कि अबूबक्र रज़ी० से जब हुक्मे कलाला के सम्बंध में सवाल किया गया तो फ़र्माया कि कलाला के मुतअल्लक़ मैं अपनी राय से हुक्म देता हूँ अगर दुरुस्त हो तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ से है और अगर ख़ता हो तो मेरे और शैतान की तरफ़ से है, अल्लाह और उसका रसूल सल्ला० ख़ता से बरी (मुक्त) हैं। अबूबक्र रज़ी० ही के क़ौल से यह बात क़तई तौर पर (निश्चित रुप से) साबित हो गई कि अबुबक्र रज़ी० मासूम अनिल ख़ता (अचूक) नहीं थे जब कि महेदी अले० का मासूम अनिल ख़ता होना नबी अले० के फ़र्मान से निश्चित रुप से साबित हो चुका है जैसा कि हम ने ज़िकर किया। इस तरह यह भी इसी बात की दलील है कि महेदी अले० अबूबक्र रज़ी० से अफ़ज़ल (सर्वोच्च) हैं।

तीसरी ख़ुसूसियत - यह है कि महेदी अले० का ख़लिफ़तुल्लाह होना नबी अले० के फ़र्मान से साबित है और इसमें कोई मतभेद नहीं है। सौबान रज़ी० से रिवायत है उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया कि ''जब तुम देखो कि काली झंडियाँ ख़ुरासाँ की जानिब से आई हैं वहाँ पहुंच जाओ अगरचे कि बरफ़ पर से चलकर जाना पड़े इसलिये कि उनमें अल्लाह का ख़लीफ़ा महेदी है'' *इसकी रिवायत अहमद और बेहक़ी ने

* पूरी हदीस इस प्रकार है ''सोबान रज़ी० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया कि तुम्हारे ख़ज़ाने (ख़िलाफ़त) के लिये तीन व्यक्ति लड़ेंगे उनमें से हर एक ख़लीफ़ा का बेटा होगा, लेकिन एक भी उस पर क़ाबिज़ न होसकेगा, फिर पूरब की ओर से काले झंडे निकलेंगे वह लोग तुम को ऐसा क़तल करेंगे कि अब तक किसी क़ौम ने ऐसा क़तल न किया होगा। फिर उसके बाद अल्लाह के ख़लीफ़ा महेदी आऐंगे, जब तुमको महेदी की सूचना मिले तो उनके पास जाओ और उनसे बैअत करो अगरचे तुमको बर्फ़ पर से रेंगते हुवे जाना पड़े, क्योंकि वह अल्लाह के ख़लीफ़ा महेदी हैं।

''दलाइलुन-नबूवत'' में की है, इसी तराह ''मिश्कात'' में मज़्कूर है और अबूबकर रज़ी० सहाबा रज़ी० के इत्तेफ़ाक़ (सहमति) से रसूलुल्लाह सल्लम के ख़लीफ़ा हैं नाकि रसूलुल्लाह सल्लम के अम्रे सरीह (स्पष्ट आदेश) से जैसा कि कुतुबे अक़ाइद (धार्मिक पुस्तकों) में मज़्कूर है। अगर अबूबक्र रज़ी० की ख़िलाफ़त स्पष्ट रुप से नबी सल्ल० से साबित होती तो अन्सार आप की ख़िलाफ़त के संबंध में इख़तिलाफ़ (विरोध) नहीं करते जिस समय उन्होंने कहा एक अमीर (अध्यक्ष) हम में होना चाहिये और एक तुम में तब अबूबक्र रज़ी० ने नबी सल्ला० के इस क़ौल से तमस्सुक फ़र्माया कि एक नियाम (कोष) में दो तलवारें नही समा सकती, इसी तरह ज़िक्र किया है ''शर्ह अक़ीदए हाफ़िज़िया'' में। जान्ना चाहिये कि नबी अले० के क़ौल ''एक नियाम में दो तलवारें नहीं समासकती'' से अबूबक्र रज़ी० ने जो तमस्सुक फ़र्माया है इस बात पर दलालत करता है कि स्वयं उनकी ज़ात के लिये ख़िलाफ़त की कोइ तसरीह (व्याख्या) रसूलुल्लाह सल्ला० की जानिब से नहीं हुवी थी। यदि उनको रसूलुल्लाह सल्ला० की जानिब से ख़िलाफ़त की तख़सीस (विशेषता) उनकी ज़ात के साथ होना मालूम होता तो वह इस कथित हदीस से तमस्सुक (अनुपयोग) नहीं फ़र्माते बल्कि उसी क़ौल से तमस्सुक फ़र्माते जौ उनकी ज़ात के साथ ख़िलाफ़त की तख़सीस की सूचना देता। इस वर्णन से मालूम हुवा कि जिसकी ख़िलाफ़त स्पष्ट रुप से नबी अले० की जानिब से ज़ाहिर हुवी वही अफ़ज़ल (सर्वोच्च) है। रसूलुल्लाह सल्ला० का महेदी (अले०) को ख़लीफ़तुल्लाह कहने पर यह आवश्यक है कि महेदी अले० अल्लाह से इल्म (विद्या) हासिल करेगें क्योंकि कोई बादशाह जब अपने नाइब (प्रतिनिधि) को किसी शहेर की तरफ़ भेजता है तो उसको ऐसे आदेश देता है जो ख़िलाफ़त के पद के लिये उचित हों और उन बातों से मना करता है जो उस के लिये उचित नहीं और तमाम आवश्यक चीज़े उसको

सिखा देता है जैसा कि अल्लाह तआला ने आदम अले० को ख़िलाफ़त अता करने के बाद फ़रिश्ते के माध्यम के बिना तमाम अस्मा (अल्लाह तआला के ९९ नाम) का इल्म अता फ़र्माया जैसा कि अल्लाह तआला अपनी पवित्र पुस्तक में फ़र्माता है *''इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ --- व अल्लम आदम अलअसमा* (अल - बक़रा - ३०) (और जब कि कहा तेरे रब ने मलाइका से कि मैं ज़मीन पर एक ख़लीफ़ा को भेजने वाला हूँ --- और सिखाया आदम को तमाम असमा) इस से मालूम हूवा कि जो दर अस्ल (वस्तुः) अल्लाह का ख़लीफ़ा हो वह अल्लाह ही से इल्म हासिल करता है और उसी के हुक्म से इर्शाद और दावत फ़र्माता है। यह बुज़र्गी (प्रतिष्ठता) नबी सल्ला० के बाद औलिया के दर्मियान महेदी अले० के सिवाय किसी को हासिल नहीं जैसा कि अल्लाह तआला फ़र्माता हैः *सुम्म इन्न अलैना बयानहु* (अल क़ियामा-१९) (फिर हमारे ज़िम्मे है बयान उस (क़ुरआन) का) । साहबे *कशफ़ुल हक़ाइक़* ने कहा है कि क़ुरआन का बयान जो मुरादुल्लाह है मुहम्मदैन यानि नबी और महेदी अलैहिमस्सलाम की ज़बान से है। इस से महेदी अले० का फ़ज़्ल तमाम औलिया पर क़यामत तक ज़ाहिर है पस आप इस बात को समझलें।

चौथी ख़ुसूसियत - यह है कि नबी अले० ने हलाकते उम्मत की नफ़ी तीन ज़ातों से की है जिन में से एक उम्मत के अव्वल है, एक उम्मत के आख़र में है और एक वस्त में। आँहज़रत सल्ला० ने फ़र्माया कि *''किस तरह हलाक होगी मेरी उम्मत मैं उसके अव्वल में हूँ ईसा अले० उसके आख़र में हैं और महेदी अले० मेरी अहले बैत से उसके वस्त (मध्य) में है''।* इस रिवायत को इमाम अहमद बिन हंवल रहे० ने अपनी मुस्नद में सनद से बयान किया है और अबू अब्दुल्लाह नुएम बिन हम्माद ने भी इसकी रिवायत की है।

इस हदीस से यह बात ज़ाहेर है कि रसूलुल्लाह सल्ला० ने अपने बाद महेदी और ईसा अलैहिमस्सलाम के हक़ में इमामत को साबित किया है और रसूलुल्लाह सल्ला० का बयान इमामत के बारे में इन दो के सिवाय किसी दूसरे के हक़ में नहीं है जैसा कि अक़ाइद की किताबों में ज़िकर किया गया है पस मालूम हुवा कि जिसकी इमामत ख़ुद नबी सल्ला० ने साबित की है अवश्य वही अफ़ज़ल है उस शख़्स से जिसके हक़ में इमामत नबी (अ.स.) के वर्णन से साबित नहीं है।

पांचवीं ख़ुसूसियत :- यह है कि महेदी अले० ख़ातिमुल औलिया है जैसा कि ह० अली इब्ने अबी तालिब रज़ी० से रिवायत है आप ने कहा मैं ने रसूलुल्लाह सल्ला० से कहा कि या रसूलुल्लाह सल्ला० महेदी अले० हम मे से है या हमारे ग़ैर से तो रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया *''बल्कि हम में से है (हमारे ग़ैर से नहीं) अल्लाह तआला उसकी ज़ात से दीन को ख़तम करेगा जैसा कि हम से दीन शुरु किया है,* और बाक़ी हदीस भी ज़िकर किया। हुफ़्फ़ाज़ की एक जमाअत ने अपनी किताबों में इस रिवायत को सनद से बयान किया है जिन में अबुल क़ासिम तब्रानी, अबू नुएम अस्फ़हानी, अब्दुर रहमान बिन हातिम और अबू अब्दुल्लाह नुएम बिन हम्माद बग़ैरहुम हैं। किताब *'उक़्दुद दुरर'* में भी ऐसा ही लिखा है। ह० अली इब्न अबी तालिब रज़ी० ने महेदी अले० के हक़ में यह अश्आर फ़रमाए हैं।

सुनो बेशक ख़ातिमु औलिया शहीद है (तमाम पिछली उम्मतौं पर गवाह है)
और उस इमामुल आरिफ़ीन की नज़ीर नहीं है
वह सैयद महेदी है जो अहमद की आल से होगा
वह हिंदी तल्वार है जिस समय वह हलाक करेगा
(विदअतौं और गुम्राहियौ को)

वह सूर्य है जो हर तारीकी और अंधेरे को दूर करदेता हैं
वह मोटे बूंदों वाली मौसमी बारिश है जिस समय वह बरस्ता हैं।

किताब *हाशियतुत तारीफ़* में है महेदी अले० ख़ातिमे विलायते मुहम्मदी हैं और वही ख़ातिमुल औलिया हैं। काशी (१) में लिखा है कि ख़ातिमुल औलिया तमाम औलिया से अफ़ज़ल है जैसा कि ख़ातिमुल अम्बिया तमाम अम्बिया से अफ़ज़ल है। फ़ुतूहात (२) में है कि महेदी अले० ख़ातिमे विलायते मुहम्मदी हैं और वह इस उम्मत में अल्लाह ने जिनको पैदा किया उनमें सबसे बड़ा आलिम है। फ़ुसूस (३) में लिखा है कि किसी नबी और रसूल को अल्लाह का दीदार हासिल नहीं है मगर ख़ातिमुर रुसुल की मिश्कात से और किसी वली को अल्लाह का दीदार हासिल नहीं है मगर ख़ातिमुल औलिया की मिश्कात से यहाँ तक कि तमाम रसूल भी नहीं देखते हैं और जिस वक़्त देखते है खुदा को मगर ख़ातिमुल औलिया की मिश्कात से (देखते हैं)।

इस इबारत (लेख) से मालूम हुवा कि ख़ातिमुल औलिया तमाम औलिया से अफ़ज़ल (वरिष्ठ) हैं इसलिये ह० अबू बक्र रज़ी० को भी महेदी अले० पर फ़ज़ल न होगा। चुनांचे हम ने कई बार ज़िकर कर दिया है और *फ़ुसूस* के हाशिये में है कि ''यानि तमाम रसूल ख़ातिमुर रुसुल से इल्म हासिल करते हैं और ख़ातिमुर रुसुल अपने बातिन से हल्म पाते है इस हैसियत से कि आप का बातिन ऐन ख़ातिमुल औलिया है लेकिन अपने बातिन से इल्म हासिल करने का इज़्हार ख़ातिमुर रुसुल की जानिब से नहीं हुवा क्योंकि आँहज़रत सल्ला० का वस्फ़े रिसालत इस इज़्हार से माने (बाधक) है। पस जब कि आप का बातिन (विलायत) ख़ातिमुल

(१) काशी - तफ़्सीर तावीलातुल कुरआन - अब्दुर रज़्ज़ाक काशानी (७३० हि १३२९)
(२) फ़ुतूहाते मक्किया - लेखक ह० मुहियुद्दीन इब्ने अरबी (दे - ६३८ हिज़ी - १२४०)
(३) फ़ुसूसुल हिकम - लेखक ह० मुहियुद्दीन इब्ने अरबी (दे - ६३८ हिजी - १२४०)

औलिया की सूरत में ज़ाहिर हो तो उसका इज़्हार करेगा पस हासिल यह है कि तमाम रुसुल और औलिया ख़ातिमुल औलिया की मिश्कात से इल्म हासिल करते हैं। शेख़ अकबर (रह०) का यह क़ौल कि ''जब आँहज़रत सल्लम का बातिन ख़ातिमुल औलिया की सूरत में ज़ाहिर होगा'' इस बात पर दलालत करता है कि नबी अले० को सैर इलल्लाह और रूयते ज़ातुल्लाह व सिफ़ातुल्लाह तमाम महेदी अले० की ज़ात में हैं, महेदी के सिवा दूसरे औलिया में से किसी की ज़ात में नहीं अगरचे कि अबूबक्र रज़ी० हों। पस यहाँ विचार करें।

छटी ख़ुसूसियत - छटी विशिष्टता यह है कि अख़बार के तवातुर (हदीसौं के सतत वर्णन) से रसूलुल्लाह सल्ला० के दीन की नुसरत (विजय) के लिये अल्लाह के हुक्म से जिस महेदी के आने पर हम सहमत हुवे हैं वह महेदी (अले०) मानलो कि ह० अबुबक्र रज़ी के जीवनकाल में प्रकट होते तो अबूबक्र रज़ी० महेदी अले० के ताबे (अनुयायी) होते या न होते। अगर आप कहें कि ताबे होते तो वही हमारी मुराद है और अगर आप यह कहें कि ताबे नहीं होते तो हम कहेंगे कि यह बात क़ाबिले तस्लीम (स्वीकार्य) नहीं क्योंकि अबूबक्र रज़ी० नबी अले० के फ़र्मान के अनुसार सिद्दीक़े अकबर हैं और महेदी अले० की बेसत नबी अले० के मुतवातिर अख़बार से साबित है और महेदी अले० नबी अले० के ताबे ताम (सच्चे और सम्पुर्ण अनुचर) और ख़ातिमे विलायते मुहम्मदिया हैं बल्कि नबी अले० के बाद दावत इलल्लाह के लिये महेदी अले० की ज़ात ही मख़सूस (विशिष्ट) है जैसा कि अहादीस में मज़कूर (चर्चित) है। अगर अबूबक्र रज़ी० और महेदी अले० एक ज़माने में जमा होते तो अबूबक्र महेदी के ताबे क्यूंकर न होते, लेकिन दो ख़लीफ़े एक ज़माने में जमा नहीं होते क्यूंकि एक काल में दो ख़लीफ़ौ का इकट्ठा होना ममनूअ (निषिद्ध) है। जैसा कि अबू हुरेरा रज़ी० से रिवायत है कहा कि रसूलुल्लाह सल्लम ने

फ़र्माया कि *जब दो ख़लीफे बैअत किये जायें तो उन में के दूसरे को क़तल करो* ऐसा ही मुस्लिम में है। जान्ना चाहिये कि महेदी अले० ख़ास इमाम हैं और अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह सलअम के जानशीन है। इमामे ख़ास इसलिये हैं कि ह० इब्राहीम अले० ने महेदी अले० की ज़ात को तलब फ़र्माया था *''व मिन जुर्रियती''* *फ़र्मा कर अल्लाह तआला के क़ौल में है कि *इज़ब्तला इब्राहीम* यानी जब आज़माया (परीक्षा ली) इब्राहीम को उसके रब ने चंद बातौं में तो इब्राहीम ने उनको पूरा किया, अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि *''बेशक मैं तुझे लोगौं का इमाम बनाऊँगा'', इब्राहीम अले० ने कहा''* और मेरी संतान में से भी'' यानि मेरी संतान में भी इमाम बना जैसा कि मुझे इमाम बनाया है तो अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि *'' मेरे अहद (वचन) को ज़ालिमीन नहीं पाएगे''* यानि अल्लाह तआला ने फ़र्माया ए इब्राहीम मैं ने तुझे वचन दिया है कि मैं तेरी संतान में से इमाम बनाऊंगा लेकिन मेरा अहद (वचन) ज़ालिमीन से मुतअल्लक़ नहीं है जो उम्मते मुहम्मद सल्लम में होंगे। ह० महेदी अले० ने (इस आयत का अर्थ) यही बयान फ़र्माया इस उम्मत में अल्लाह तआला की मुराद से अल्लाह तआला ने आप को जो शिक्षा फ़रिश्ते के माध्यम के बिना दी है। यह तख़सीस (विशेषता) जिसका इमाम महेदी अले० के संबंध में ज़िकर किया गया है वह ह० अबू बक्र रज़ी० वग़ेरह सहाबा रज़ी० में से किसी में भी नहीं पाई जाती बल्कि आदम अले० से लेकर क़यामत तक तमाम औलिया रिज़वानुल्लाहु अलैहिम अज्मईन में नहीं पाई जाती। मालूम हुवा कि महेदी अले० तमाम औलिया से अफ़ज़ल हैं इसलिये इस विषय में विचार करो।

सात्वीं ख़ुसूसियत - यह है कि फ़ुसूस में ज़िकर किया गया है कि आदम अले० से लेकर आख़र नबी तक हर एक नबी जो कोई हो

---

*व इज़ब्तला इब्राहीम रब्बुहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न, क़ाला इन्नी जगइलुक लिन्नासि इमामा, क़ाला व मिन ज़ुर्रीयती, क़ाला ला यनालु अहदिज्ज़ालिमीन ''(अल बक़रा १२४)''

ख़ातिमुल अंबिया की मिश्कात से इल्म पाया है अगरचे कि ख़ातिमुल अंबिया का शारीरिक जीवन देर से वाक़े हुवा हो लेकिन वोह हक़ीक़तन (वस्तुतः) मौजूद रहे हैं, जैसा कि आँहज़रत सल्ला० का फ़र्मान है कि मैं उस हाल में नबी था जब कि आदम अले० पानी और कीचड़ मे थे और आप के सिवा दूसरे अंबिया में हर एक उस समय नबी हुवा जब कि वह मबऊस (अवतीर्ण) हुवा। इसी प्रकार ख़ातिमुल औलिया उस हाल में वली थे जब कि आदम अले० पानी और कीचड़ में थे और आप के सिवा दूसरे औलिया तहसीले शराइते विलायत (विलायत के लिये आवाश्यक परिस्थिति प्राप्त करने) के बाद वली हुवे।

फ़ुसूस के माननीय लेखक का क़ौल कि ''और उसी तरह ख़ातिमुल औलिया वली थे इस हाल में कि आदम पानी और कीचड में थे'' इस बात पर दलालत करता है कि ख़ातिमुल औलिया विलायत की शराएत ग्रहण करने के बग़ैर उस समय वास्तव में वली थे जब कि अबुल बशर आदम अले० का जन्म नही हुवा था क्यूंकि महेदी अले० ही मुहम्मद सल्ला० की विलायत के मुज़्हिर और कामिल तौर पर आँहज़रत सल्ला० की अमानत के हामिल (वाहक) हैं और आपके सिवा दूसरे औलिया अगरचे कि अबूबक्र रज़ी० हों विलायत की शराएत की प्राप्ति के बाद ही वली हुवे है। इस से मालूम हुवा कि ख़ातिमुल औलिया तमाम औलिया से अफ़ज़ल हैं जैसा कि हम ने कइ बार ज़िकर किया है।

आठवीं ख़ुसूसियत :- हदीस में आया है कि आँहज़रत सल्लम ने फ़र्माया कि शैतान जो आँहज़रत सल्लम के साथ पैदा हुवा आप के हुज़ुर में मुसलमान हुवा, इसी प्रकार महेदी अले० ने भी फ़र्माया है कि आप अले० के साथ जो शैतान पैदा हुवा वह भी आप के हुजुर में मुसलमान हुवा और यह ख़बर तमाम लोगौं में मश्हूर है। इस ख़बर को मियाँ अलाइदाद बिन हमीद रज़ी० ने इस तरह नज़्म किया है।

हर एक का हमज़ाद (साथ पैदा होने वाला) काफ़िर रहा
मुहम्मद सल्ला० और महेदी अले० का हमज़ाद मुसलमान हुवा
मुहम्मद सल्ला० ने दीन की वज़ा - ए - सूरत को तमाम किया
और महेदी अले० ने दीन के मआनी के दर्वाज़े को खोल दिया।

आँहज़रत सल्लम ने फ़र्माया कि तुम में से जो कोइ हो जिनों में से उसका हमज़ाद उस के साथ कर दिया गया है, सहाबा रज़ी० ने अर्ज़ किया क्या आप के भी साथ किया गया तो फ़र्माया हाँ मगर अल्लाह तआला ने मेरी एआनत (सहायता) की है उसके मुक़ाबले में पस वोह मुसलमान हो गया, नेकी का हुक्म करता है, इसकी रिवायत इब्ने मसऊद रज़ी० ने की है, यह रिवायत ''मुस्लिम'' में है। इमाम महेदी अले० ने भी यही फ़र्माया। पस यह बुज़रगी ख़ातिमुल अम्बिया और ख़ातिमुल औलिया से मख़सूस है, उनके सिवाय किसी के लिये यह बुज़रगी नहीं है। पस मालूम हुवा कि महेदी अले० तमाम औलिया से अफ़ज़ल हैं पस आप इस बात को समझ लें।

नवीं ख़ुसूसियत :- यह है कि महेदी अले० ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला के हुज़ूर से तस्हीह - ए - अर्वाह (शुद्धि) का मन्सब मुझे अता हुवा है। अल्लाह तआला मेरे रु बरु मोमिनौं की तस्हीह फ़रमाता है, मुझे दिखलाता है तमाम मोमिनों को जो मुझ से पहले गुज़रे और जो मेरे बाद क़यामत तक होंगे और मैं उनमें से हर एक को जानता हूँ जिन्होंने मिश्काते विलायत से फ़ैज़ लिया है कि किस ने कितनी मिक़दार (मात्रा) में लिया है। यह वोह मन्सब है जो अल्लाह की तरफ़ से अबू बक्र और उमर रज़ी० को अता नहीं हुवा। पस मालूम हुवा कि महेदी अले० उन दोनों से अफ़ज़ल हैं।

दसवीं ख़ुसूसियत :- फ़ुसूस में मज़कूर है कि क़यामत के दिन सब आम्बिया खातिमे नबूवत के झंडे के नीचे जमा होंगे और तमाम औलिया

ख़ातिमे विलायते मुहम्मदी महेदी अले० के झंडे के नीचे जमा होंगे और यह फ़ज़ल आख़िरत में महेदी के सिवाय किसी और वली के लिये नहीं। पस मालूम हुवा कि महेदी अले० अल्लाह के पास सब औलिया से अफ़ज़ल (सर्वोच्च) और अकरम (प्रतिष्ठित) हैं।

ग्यारहवीं ख़ुसूसियत :- महेदी अले० के साथ हिजरत फ़र्ज़ है जैसा कि तफ़सीर मदारिक (४) के चौथे भाग में अल्लाह तआला के क़ौल *फ़ल्लज़ीन हाजरू व उख़रिजू मिन दयारिहिम* (आले इम्रान - १९५) के तहेत मज़कूर है कि हिजरत लाज़िम होने वाली है आख़र ज़माने में जैसा कि (लाज़िम) हुवी थी अव्वल इस्लाम में। पस जिस ने तस्दीक़ करने के बाद महेदी अले० के साथ हिजरत नहीं की तो उस पर महेदी अले० ने निफ़ाक़ (द्वैयवादिता) का हुक्म फ़रमाया सिवाय उसके जो हिजरत से माज़ूर (विवश) रहा और इसी तरह इस हुक्म को अपने गुरोह में जारी रखा है। इस से मालूम हुवा कि जिस के साथ नबी अले० की तरह हिजरत फ़र्ज़ हो वोह बेशक अबू बक्र रज़ी० से अफ़ज़ल है।

बारहवीं ख़ुसूसियत :- जो शख़्स महेदी अले० के साथ महाजिर होकर अपने वतन से निकला फिर महेदी अले० के हुक्म के बग़ैर अपने घर की तरफ़ लौटा तो वोह अल्लाह के हुक्म से मुनाफ़िक़ हो गया क्यों कि महेदी अले० नबी अले० के ताबे ताम हैं और आप के साथ हिजरत फ़र्ज़ है और यह हुक्म अबू बक्र और उमर रज़ी० के लिये नहीं है। पस ज़ाहिर हुवा कि महेदी अले० इन दोनो से अफ़ज़ल हैं। दरुद नाज़िल करे अल्लाह अपने ख़ैरे ख़ल्क़ मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला० और आप के आले मुज्तबा महेदी अले० और आप के तमाम असहाब साहेबाने इरतिज़ा पर अपने कामिल फ़ज़्ल व एहसान से।

---

(४) मदारिकुत तंज़ील व हक़ाइकुत तावील - अब्दुल्लाह बिन अहमद बिन महमूद अन नसफ़ी (७१० हि - १३१०)

इदारतुल इल्म महेदवियह इस्लामिक लाइबररी

मर्कज़ी अंजमने महेदवियह बिल्डिंग चंचलगुड़ा, हैदारबाद - *500 024 A.P.*

अल्हम्दु लिल्लाह इदारतुल इल्म महेदवियह इस्लामिक लाइब्ररी की ओर से पाँच पुस्तकें *हक़ीक़ते तरके दुनिया, हक़ीक़ते ज़िक्र, अल-क़ुरआन वल महेदी, रिसाला हज़्दा आयात और ख़ुलासतुल कलाम* (हिन्दी अनुवाद) प्रकाशित की जाचुकी हैं और अब यह पुस्तक ख़साइस इमाम महेदी मौऊद ख़लीफ़तुल्लाह (अ.स.) (हिन्दी) इस क्रम का छटा प्रकाशन है। कुछ वर्ष पूर्व यह पुस्तक ''नूरे विलायत'' में छप चुकी है लेकिन आज-कल फिर महेदी अले० की आवश्यकता और महत्वता के विषय में वाद-विवाद चल रहा है इस लिये इसको दुबारा छापने की आवश्यकता महसूस की गयी। आप भी चाहें तो धर्म - प्रचार के लिये दूसरी पुस्तकों के प्रकाशन के लिये सहयोग दे सकते है।

इस पुस्तकालय में धार्मिक पुस्तकों के अलावा कालेज के पाठय पुस्तक भी रखी गयी हैं और नादार लोगौं की मौत पर कफ़न भी फ़ी सबीलिल्लाह दिया जाता है।

आशा है कि हमारा यह प्रयास सफल रहेगा और यह पुस्तक सत्यता की खोज करने वालों के लिये मार्ग दर्शक साबित होगी।

मुहम्मद अब्दुल जब्बार खाँ
अध्यक्ष
Phone : 24418176

सैयद हुसेन मीराँ
प्रबंधक
Phone : 24523288

ख़साइस

इमाम महेदी मौऊद ख़लीफ़तुल्लाह (अ.स.)

लेखक

हज़रत बन्दगी मियाँ

अब्दुल मलिक सजावंदी

आलिम बिल्लाह रहे०

इदारतुल इल्म महेदवियह इस्लामिक लाइबररी
अंजुमने महेदवियह बिलडिंग, चंचलगुडा,
हैदराबाद - ५०० ०२४.